

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषय :- मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ मार्ग एन०एच०-24 किमी० 163 से 164 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद के खसरा सं०-196/03 में सिटी एनर्जी लि० मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक व उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या8बी/यूपी/09/69/2017/एफसी/115 दिनांक 18.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-2074/मुरादाबाद/23468/2017 दिनांक 05.01.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है, जो इस प्रकार है :-

No.	Observation	Reply
1.	Information at A-3 (XVII) (uploaded online) is incomplete as the signature of person making application on behalf of user agency has not been authenticated. The land copy contains a singed paper but the same is Xerox copy.	ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
2.	(a) Kml files of proposed forest land are not provided in CD. (B) The shape of kml file of proposed forest land on Google earth and Geo referenced Map do not match with each other. (C) Kml file opened on Google earth shows a shift.	ए-के०एम०एल० फाइल सी०डी० में तैयार कर संलग्न कर दी गयी है। बी- के०एम०एल० फाइल सेप का मिलान कर ऑनलाइन कर दिया गया है। सी- सिफ्ट का निस्तारण कर संशोधित के०एम०एल० फाइल सी०डी० में संलग्न है।

3.	Due to lack of dimensions on lay out plan correctness of area calculation cannot be ascertained.	ले-आउट प्लान के अनुसार सही Dimension mentioned कर दी गयी है।
4.	The certificate under forest 9 Rights Act 2006 issued from DM Moradabad does not mention regarding rights of pre agricultural communities.	संशोधित एफ0आर0ए0 ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है।
5.	Compensatory afforestation scheme is not as per provisions contained in chapter 3 of FCA handbook 2004 and needs revision.	संशोधित क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है।
6.	Correct part III and part V shall be uploaded with the proposal.	पार्ट-2 में रिक्मनडेशन में लेटर के साथ पार्ट-3 अपलोड है।

2— अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 05.01.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

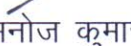

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-148(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।